

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम ओसियां

भैराराम बनाम सायरी वगैरा

किस्म मुकदम राजस्व विविध प्रार्थना पत्र नम्बर..... सन 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
20/11/19	<p>प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बरसालु खुर्द पटवार क्षेत्र किंजरी तहसील ओसियां के खेत खसरा नम्बर 49 रकबा 71 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 76/1 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा, आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है। जिस पर प्रार्थी का अपने हक हिस्से अनुसार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सामलाती दर्ज है। जिससे अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में तरह-तरह की दखलंदाजी करते रहते हैं तथा प्रार्थी को मौके से बेदखल करने हेतु उतारू रहते हैं। प्रार्थी का अपने हक हिस्से की भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है तथा यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने हक हिस्से व कब्जा काश्त वाली भूमि से बेदखल कर देंगे तो प्रार्थी अपूर्णाय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।</p> <p>अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित है। अप्रार्थी द्वारा किया गया विक्रय पर नामान्तरकरण दर्ज होने से विवाद बढ़ेगा इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 71 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 76/1 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा, मौजा ग्राम बरसालु तहसील ओसियां के बाबत आगामी तारीख पेशी तक मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20/12/19 को पेश हो।</p>	

सहायक कलक्टर, ओसियां

